प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/IDCF/35/2017–18/2012-75 दिनांक 08-06-17

विषय–प्रदेश के समस्त जनपदों में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (Intensified Diarrhoea Control Fortnight-IDCF) दिनांक 26 जून से 08 जुलाई 2017 के मध्य मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) का पूर्व की भांति प्रदेश में इस वर्ष **दिनांक 26 जून से 08 जुलाई 2017 के मध्य समस्त जनपदों में मनाया जाना है।** आप अवगत हैं कि विगत वर्ष 2016–17 में आपके सक्रिय सहयोग से उक्त कार्यक्रम को सफलता पूर्वक प्रदेश में आयोजित किया जा चुका है।

शिशु मृत्युदर एवं बाल्याबस्था मृत्युदर में कमी लाना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य है। वर्तमान में प्रदेश की बाल मृत्युदर 51/1000 जीवित जन्म है (एस0आर0एस0–2015) बाल्यावस्था में 05 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 10 प्रतिशत मृत्यु दस्त के कारण होती है, जो कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.2 लाख बच्चों कि दस्त के कारण मृत्यु का कारण बनता है, तथा दस्त रोग मृत्यु के प्रमुख कारणों में दूसरे स्थान पर है। जिसका उपचार ओ0आर0एस0 एवं जिंक की गोली मात्र से किया जा सकता है एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। दस्त रोग विकासशील देशों में अधिक व्यापक रूप से मौजूद है जिसका मुख्य कारण असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता एवं शौंचालय का अभाव तथा समग्र स्वास्थ्य एवं पोषण का निम्न स्तर का होना है।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये आवश्यक है कि कार्यक्रम के उद्देश्यों के विषय में स्पष्ट एवं सकारात्मक दृष्टिकोण बनाया जायें। वर्ष 2017–18 में आयोजित Intensified Diarrhoea Control Fortnight-IDCF का उद्देश्य प्रदेश में "Zero" Childhood Death due to Diarrhoea के स्तर को प्राप्त करना।

इस कार्यक्रम हेतु निम्नलिखित रणनीति एवं उद्देश्य है :–

1. बाल्यावस्था में दस्त के दौरान ओ0आर0एस0 एवं जिंक के उपयोग के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना।
2. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मध्य दस्त के प्रबन्धन एवं उपचार हेतु गतिविधियों को बढ़ावा देना। साथ ही उच्च प्राथमिकता व अतिसंवेदनशील समुदायों में जागरूकता प्रदान करना है।
3. समुदाय स्तर तक ओ0आर0एस0 एवं जिंक की उपलब्धता तथा इसके उपयोग को बढ़ावा देना।
4. स्वच्छता एवं हाथों को साफ रखने से विभिन्न रोगों से परिवार को सुरक्षित रखना।

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) की सम्पूर्ण गतिविधियां 26 जून से 08 जुलाई, 2017 के मध्य संचालित की जायेंगी। इस निमित्त पखवाड़े के सफल आयोजन हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार पखवाड़े से पूर्व एवं पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित गतिविधियॉ निम्नानुसार आयोजित की जानी हैं।

लक्षित लाभार्थीः–

1. समस्त ऐसे परिवार जिनमें 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हों
2. 05 वर्ष की उम्र तक के समस्त बच्चे जो पखवाड़े के दौरान दस्तरोग ग्रासित हों।
3. उच्च प्राथमिकता वाले बच्चे –
   - ❖ सब सेन्टर जहां पर ए0एन0एम0 न हो/लम्बी छुट्टी पर हो।
   - ❖ सफाई की कमी वाली जगहों पर निवास करने वाली जनसंख्या।
   - ❖ अति सम्वेदनशील क्षेत्र–अरबन स्लम, हार्ड टू रीच एरिया, खानाबदोस निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवार, ईट भट्टे इत्यादि।
   - ❖ ऐसी जगह जहां डायरिया आउटब्रेक हुआ हो।
   - ❖ छोटे गांव या छोटे कस्बे जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो।

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े (IDCF) को आयोजित करने हेतु पूर्व/प्रारम्भिक गतिविधियां

क्र0सं0	गतिविधियां	प्रस्तावित कार्ययोजना	जिम्मेदार व्यक्ति	समय अवधि
1	जनपदीय टास्क फोर्स/जिला स्वास्थ्य समिति/स्टेयरिंग कमेटी का गठन एवं बैठक का संचालन	• पखवाड़े के पूर्व जिला एवं ब्लाक स्तर पर कार्ययोजना नीति तैयार करना (भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर कार्ययोजना गठन हेतु **संलग्नक–4** जनपद स्तर **संलग्नक–5** ब्लाक स्तर एवं **संलग्नक–6** ए0एन0एम0 द्वारा बनाया जाए)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	05 से 18 जून 2017
		• पखवाड़े के पूर्व एवं मध्य व नियमित बैठक आयोजित कर भौतिक प्रगति, आपसी सहयोग एवं प्रगति पर समीक्षा कर निर्णायक कदम उठाना।	जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी	पखवाड़े के मध्य साप्तहिक
2	सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े के लिये नोडल अधिकारी का चयन किया जाना	• पखवाड़े से पूर्व स्टेयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित कराना। • कार्यक्रम हेतु माइक्रोप्लान बनवाना, सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, ब्लॉक स्तरीय ऑरियेन्टेशन बैठक आयोजित कराना। • कार्यक्रम से पूर्व पर्यवेक्षण का प्लान तैयार कराना। • आई0ई0सी0 गतिविधियों को सुनिश्चित कराना। • भौतिक प्रगति रिपोर्ट को संकलित करना तथा राज्य मुख्यालय पर निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	05 जून से 10 जून 2017
3	कार्यक्रम हेतु आवश्यक सामग्री की व्यवस्था **(अ)** ओ0आर0एस0 एंव जिंक की आपूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित कराना। **(ब)** आवश्यक समाग्री की व्यवस्था करना	• नोडल अधिकारी द्वारा ओ0आर0एस0 एंव जिंक की आपूर्ति का आंकलन कर पखवाड़े से पूर्व स्वास्थ्य इकाईयों एवं आशा/ए0एन0एम0 तक उपलब्धता सुनिश्चित कराना। • विगत माह/वर्षो में दस्त रोगों की स्थित समीक्षा करते हुये ऐसे सुदूर क्षेत्रों की आशाओं एवं ए0एन0एम0 एवं मोबाइल टीमों को आवश्यक ओ.आर.एस. एंव जिंक उपलब्ध करा कर आशा को डिपो के रूप में चिन्हित करना एवं ओ0आर0एस0 कार्नर हेतु दिशानिर्देश देना। **(भारत सरकार के गाइडलाईन का संदर्भ ग्रहण करें पेज न0–49)**	नोडल अधिकारी एवं फार्मासिस्ट ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	21 जून 2017 तक
4	तकनीकी उन्मुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन	• जिला एवं ब्लाक स्तर पर चिकित्साधिकारी, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक, सी0डी0पी0ओ0, बी0सी0पी0एम0 आयुष चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ, ए0एन0एम0 एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मुख्य सेविका एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों को आई0डी0सी0एफ0 कार्यक्रम के तकनीकी विषय, गतिविधियां तथा उनकी भूमिका के सम्बंध में राज्य से प्रेषित प्रस्तुतिकरण एवं भारत सरकार द्वारा प्रेषित टूलकिट के माध्यम से उन्मुखीकरण कर प्रशिक्षित किया जाएगा। **(इस हेतु आशायें अपने मॉड्यूल 6–7 का उपयोग करें)**	नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	अभियान से पूर्व 19 जून से 24 जून 2017 के मध्य

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े (IDCF) को आयोजित करने हेतु पूर्व/प्रारम्भिक गतिविधियां

क्र0सं0	गतिविधियां	प्रस्तावित कार्ययोजना	जिम्मेदार व्यक्ति	समय अवधि
5	आई0ई0सी0 सामाग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना	• भारत सरकार की वैब साइट **www.nhm. gov.in** अथवा उत्तर प्रदेश की वैब साइट www.upnrhm. gov.in पर पोस्टर, पैमपेल्ट, टी.वी. एवं रेडियो स्पॉट उपलब्ध हैं IEC सामाग्री को डाउन लोड कर जनपद की आवश्यकता अनुसार प्रपत्रों के साथ ही मुद्रित कराया जाए।	नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी	12 जून से 24 जून 2017 तक
6	माइक्रोप्लानिंग/ कार्ययोजना (अ) जनपद स्तरीय कार्य योजना	• जनपद स्तर पर कार्यक्रम की रूप–रेखा **संलग्नक–4** में लगे प्रारूप के अनुसार पखवाड़े की पूर्व तैयार करायी जाए तथा प्रतिलिपि राज्य स्तर को प्रेषित की जाये।	नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी	17 जून 2017 तक
	(ब) ब्लाक स्तर कार्य योजना	• ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम की रूप–रेखा **संलग्नक–5** में लगे प्रपत्र के अनुसार (मोबाइल टीमों का गठन कर जिंक ओ0आर0एस0 कार्नरों एवं सहयोगी अनुश्रवण हेतु अधिकारीयों को नामित कर तैयार कर जनपद को उपलब्ध करायी जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी एव बी0सी0पी0एम0/ बी0पी0एम0	12 जून 2017 तक
	ग्राम स्तरीय कार्य योजना	• ग्राम स्तर पर कार्यक्रम की रूप–रेखा **संलग्नक–6** ए0एन0एम0 द्वारा एवं आशा द्वारा **संलग्नक–7** पर नियोजन व रिर्पोटिगं हेतु आशा द्वारा तैयार करायी जाए।	ए0एन0एम0 एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी/ बी0पी0एम0	09 जून 2017 तक
7	उदघाटन एवं कार्यक्रम का शुभारम्भ	• कार्यक्रम का शुभारम्भ स्थानीय मंत्री/ विधायक या अन्य किसी विशिष्ठ गणमान्य से कराया जाये।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी	26 जून 2017
8	आई0डी0सी0एफ0 का अनुश्रवण	• जनपद स्तर पर **संलग्नक–13** एवं ब्लाक स्तर पर **संलग्नक–14** पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सम्पूर्ण पखवाडे की अवधि में अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है।	समस्त जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारी	26 जून से 08 जुलाई, 2017

1– आशा द्वारा अपने गांव में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाले समस्त घरों का गृह भ्रमण।

- पखवाडे से पूर्व आशा ग्राम स्तरीय प्लानिंग एवं क्रियान्वयन रिर्पोटिगं **संलग्नक–7** पर अपने गॉव के समस्त 5 वर्ष तक के बच्चो की सूची तैयार करेगी और चिंन्हित बच्चो के घरों में भ्रमण करेगी और पखवाड़े के दौरान प्रत्येक पात्र परिवार को जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा हो उस घर में **ओ0आर0एस0 का एक पैकेट का वितरण किया जाना है।** इसकी सूचना **संलग्नक–7** में दी जानी है।
- **ओ0आर0एस0 एवं जिंक टैबलेट के क्रय करने हेतु पूर्व में प्रेषित इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/डी0एम0/29/2017–18/658–75, दिनांक 27.04.2017 के माध्यम से ओ0आर0एस0 एवं जिंक की नियमित उपलब्ध्ता सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं तथा दिनांक 24.04.2017 को FMR Code-B.16.2.2.1 पर धनराशि भी समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा चुकी है।**
- **उपरोक्त ओ0आर0एस0 एवं जिंक टेबलेट का उपयोग IDCF पखवाड़े के दौरान करें तथा IDCF कार्यक्रम के अन्तर्गत FMR Code-B.16.2.5 पर अवमुक्त की जा रही धनराशि से ओ0आर0एस0 पैकेट दर अनुबन्ध के आधार पर क्रय किये जाने हेतु क्रय आदेश आपूर्तिकर्ता फर्म को तत्काल निर्गत कर दिये जायें ताकि ओ0आर0एस0 पैकेट की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।**
- अतः पखवाड़े से पूर्व पर्याप्त मात्रा में ओ0आर0एस0 एवं जिंक की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये एवं जिंक ओ0आर0एस0 कार्नर एवं मोबाइल टीमों हेतु योजना बना ली जाये।

- आशा द्वारा अपने क्षेत्र के 5 वर्ष उम्र तक के बच्चों वाले सभी घरों में ओ0आर0एस0 पैकेट वितरण करेगी जिसके लिये आशा को रू0 01 प्रति ओ0आर0एस0 पैकेट के अनुसार प्रोत्साहन राशि (इन्सैन्टिव) के रूप में भुगतान किया जायेगा। जिसे आशा के खाते में स्थानान्तरित किया जायेगा।
- **गृह भ्रमण के दौरान आशा द्वारा ओ0आर0एस0 का घोल बनाने की विधि का प्रदर्शन किया जायेगा ताकि देखभालकर्ता को ओ0आर0एस0 घोल बनाने की सही तरीके की जानकारी सम्भव हो सके एवं स्वच्छता सम्बन्धी जानकारी भी दी जायेगी। इसके साथ ही परिवार को निम्न बिन्दुओं पर परामर्श देगी–**

1. दस्त के दौरान बच्चों को ओ0आर0एस0 एवं तरल पदार्थ दिया जाये।
2. जिंक का भी उपयोग दस्त होने के दौरान बच्चों को अवश्य किया जाये। दस्त बन्द हो जाने के उपरान्त भी जिंक की खुराक 02 माह से 05 वर्ष तक के बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कुल 14 दिनों तक जारी रखा जाए। (**02 से 06 माह तक आधी गोली एवं 07 माह से 05 वर्ष तक एक गोली**) जिंक का प्रयोग करने से अगले 02 या 03 महीने तक डायरिया होने की सम्भावना कम हो जाती है।
3. जिंक और ओ0आर0एस0 के उपयोग के उपरान्त भी डायरिया ठीक न होने पर बच्चे को नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जायें।
4. बीमारी के दौरान और बीमारी के बाद भी आयु के अनुसार स्तनपान, ऊपरी आहार तथा भोजन जारी रखा जाये।
5. उम्र के अनुसार शिशु बाल पोषण सम्बन्धी परामर्श दिया जाये।
6. पीने हेतु स्वच्छ पेयजल का उपयोग किया जाये।
7. खाना बनाने से पूर्व एवं बच्चे का मल साफ करने के उपरान्त साबुन से हाथ धो लेना चाहिये।
8. डायरिया होने पर ओ0आर0एस0 और जिंक का उपयोग करने से बच्चों में तीव्र सुधार होता है।
9. बच्चे के मल का निस्तारण सुरक्षित स्थान पर जल्द से जल्द कर दिया जाये।
10. डायरिया को फैलने से रोकने के लिये शौचालय का उपयोग करना चाहिये।

बच्चे में निम्नलिखित कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जायें।

- ➢ पानी जैसा लगातार मल का होना।
- ➢ बार–बार उल्टी होना।
- ➢ अत्यधिक प्यास लगना।
- ➢ पानी न पी पाना।
- ➢ बुखार हो।
- ➢ मल में खून आ रहा हो।

- जिन घरों में 02 वर्ष तक के बच्चें हैं उनकी मांताओं को स्तनपान एवं उम्र के अनुसार पूरक पोषाहार की भी जानकारी दें एवं हाथों की सफाई के महत्व के विषय में परामर्श दिया जाये।

नोटः– पखवाड़े के मध्य दस्त रोग से यदि किसी बच्चे की मृत्यु होती है तो ऐसे केसों की जानकारी आशा अपने सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अवश्य देगी। प्रभारी अधिकारी सभी केसों की सूचना संकलित कर जनपदीय नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें।

2– जिंक एवं ओ0आर0एस0 कार्नर स्थापित करना

अ– ओ0आर0एस0 एवं जिंक कार्नर मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, ब्लाक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी स्वास्थ्य इकाई, होम्योपैथिक यूनानी व आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आगनंवाड़ी केन्द्रों और चिन्हित चिकित्सा इकाई/निजी चिकित्सालय/प्राईवेट प्रैक्टीशनर के यहां स्थापित किये जायें। इस कार्य हेतु जनपद स्तर पर आई0ए0पी0 एवं आई0एम0ए0 का भी सहयोग लिया जाये।

ब– ओ0आर0एस0 जिंक कार्नर को स्थापित करने के विषय में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के **संलग्न–15** में पूर्ण जानकारी दी गयी है अपने स्तर से इसकी प्रति समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को ओ0आर0एस0 एवं जिंक कार्नर स्थापित करने के लिये उपलब्ध करा दें।

3– ओ0आर0एस0 एवं जिंक हेतु आशाओं को डिपो के रूप में स्थापित करना।

यह सुनिश्चित किया जाये कि आशा के पास अतिरिक्त ओ0आर0एस0 के पैकेट की उपलब्धता हर समय रहे। आशा द्वारा यदि उनका उपयोग कर लिया जाये तो सम्बन्धित ए0एन0एम0/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अपने स्टोर से इसकी आपूर्ति करते रहें।

4– शहरी क्षेत्रों में मोबाइल टीमों का गठन कराना।

यह सुनिश्चित किया जाये कि जिन शहरों में घुमन्तु परिवार, खानाबदोस, अन्य असेवित समाज के बच्चों हेतु ओ0आर0एस0 के उपयोग के प्रति बढावा देने हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रचार प्रसार किया जाय एवं जिकं ओ0आर0एस0 कार्नर की स्थापना सुनिश्चित की जाय। दस्त से ग्रसित बच्चो को आवश्यकता अनुसार जिंक और ओ0आर0एस0 प्रदान कर आवश्यक परामर्श प्रदान किया जाय।

5– स्कूलों में हाथ धोने का प्रदर्शन

प्रयास रहे कि सभी स्कूल इस गतिविधि से आच्छादित हो जायें। आर0बी0एस0के0 टीमें भी अपने नियमित भ्रमण के दौरान इस पखवाड़े के मध्य अपनी देख रेख में इस गतिविधि को आयोजित करें तथा क्षेत्र के अन्य छूटे हुये स्कूलों में भ्रमण के समय भी इसको आयोजित कराते रहें।

अ– प्रत्येक प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में इससे संबंधित गतिविधि करायी जाये। साथ ही प्रभात फेरी एवं रैली का आयोजन भी किया जाये।

ब– हाथ धोने के सही तरीके के विभिन्न चरणों को प्रदर्शित करने वाला पोस्टर हाथ धोने के स्थान पर लगा हो।

स– प्रति दिन प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को हाथ धोने के महत्व के विषय में बताया जाये।

द– प्रति दिन मिड डे मिल के समय सभी बच्चों को पोस्टर में दिये गये चरणों के अनुसार साबुन–पानी से हाथ धोना सिखाया जाये।

6– पखवाड़ा मनाये जाने हेतु सामान्य गतिविधियाः–

1. **जनपद स्तर पर पखवाड़े का विधिवत शुभारम्भ किया जाये। कार्यक्रम का शुभारम्भ स्थानीय मंत्री/विधायक या अन्य किसी विशिष्ठ गणमान्य व्यक्ति से इसका शुभारम्भ कराया जाये इसमें स्थानीय आई0ए0पी0/आई0एम0ए0/पी0आर0आई0/आई0सी0डी0एस0 व अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाये।**
2. ए0एन0एम0 अपने पूर्व निर्धारित वी0एच0एन0डी0 अनुसार संलग्नक–06 पर योजना बनाकर पखवाड़े के दौरान भ्रमण करेगी।
3. प्रतिरक्षण कार्य के अतिरिक्त इस पखवाड़े की जानकारी समुदाय में देगी। गंभीर दस्त रोग के हानिकारक प्रभाव, दस्त रोग की रोकथाम, स्वच्छ पेयजल, साफ–सफाई, स्तनपान आदि विषयों पर चार्ट, पोस्टर जैसे मुद्रित सामाग्री एवं अपने फ्लिपबुक के माध्यम से प्रचार प्रसार करेगी। ओ0आर0एस0 घोल बनाने की विधि का प्रदर्शन करेगी। वी0एच0एन0डी0/आर0आई0 में आने वाली माताओं को ओ0आर0एस0 के पैकेट की उपलब्धता के बारे में जानकारी करेगी तथा आवश्यकता के अनुसार पैकेट वितरण करेगी।
4. ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों को इस पखवाड़े की जानकारी देकर ग्राम में स्वच्छता का प्रचार प्रसार, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, घरेलू शौचालय के लाभ एवं निर्माण में सहयोग करने वाली संस्थाओं से निर्माण में सहयोग हेतु अनुरोध किया जाये।
5. **विभिन्न स्तरीय कार्यकर्ताओं का अभिमुखीकरण**– दस्त प्रबंधन गतिविधियों के विषय में समस्त कार्यकर्ताओं का विशेष बैठकों के माध्यम से जानकारी दी जाए तथा सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े में आयोजित होने वाली गतिविधियों के बारे में तथा उसमें प्रयोग होने वाले रिपोर्टिंग प्रपत्र की जानकारी दी जाए तथा प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जाएं।
6. **अन्य विभागों से समन्वय**–जनसमुदाय को जागरूक करने के लिए तथा अन्य विभागों से समन्वय कर रेडियो एवं न्यूज़ पेपर आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाए तथा अन्य विभाग जैसे शिक्षा विभाग, आई0सी0डी0एस0, पंचायती राज विभाग, इंडियन एकैडमी आफ पीडियाट्रिक्स, आई0एम0ए0 से समन्वय स्थापित किया जाए इसके अतिरिक्त दस्त प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहीं स्वैच्छिक सहयोगी संस्थायें (UNICEF, UP-TSU, Nutrition International, Save the Children) तथा जनपद में कार्य कर रही अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर उक्त पखवाड़े का आयोजन किया जाये।

7– आई0ई0सी0 एवं प्रचार प्रसार

उपर्युक्त के दृष्टिगत निम्नलिखित संचार माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग किया जायः–

- स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रचार–प्रसार।
- आकाशवाणी।
- दूरदर्शन।
- प्रेस कॉन्फ्रैन्स।
- अन्तर्वैयक्तिक संचार (Inter-Personal Communication).
- गोष्ठी, महिला/बालिकाओं के विद्यालयों में वाद–विवाद प्रतियोगिता, आदि।
- बैनर, पोस्टर, एवं हैण्डबिल, दीवाल लेखन।
- एक दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन।

नोट– इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा आई0ई0सी0 मेटीरियल,पोस्टर का प्रोटोटाइप भारत सरकार की वैब साईट www.nrhm.gov.in. एवं उत्तर प्रदेश की वैब साइट www.upnrhm.gov.in पर पोस्टर, पैमपेल्ट, टी0वी0 एवं रेडियो स्पॉट उपलब्ध है, उक्त आई0ई0सी0 सामग्री को डाउनलोड कर जनपद की आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाया जाये।

8– आशा के लिए प्रतिपूर्ति धनराशि–

आशाओं द्वारा गृह भ्रमण के दौरान 5 वर्ष तक के बच्चों को ओ0आर0एस0 पैकेट का वितरण करने हेतु रू0 01 प्रति पैकेट की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा, इस पखवाडा हेतु प्रति आशा को प्रोत्साहन **राशि रू0 100/–** खाते में स्थान्तरित की जायेगी।

9– शहरी क्षेत्र हेतु रणनीतिः–

- मोबाइल टीमों द्वारा पखवाड़े हेतु संलग्नक–08 पर योजन बनाकर सफल संचालन करना।
- जिला चिकित्सालय, पुरुष एवं महिला में इस पखवाड़े के बैनर पोस्टर लगाये जायें।
- स्थानीय रेडियो, एफ0एम0 रेडियो पर इसका प्रचार–प्रसार कराया जाये।
- शहरी क्षेत्रों में म्युन्सिपल वार्ड के कर्मचारियों आदि द्वारा मलिन बस्ती में घर–घर जा कर ओ0आर0एस0 पैकट वितरण कराया जाये। जनपदों में शहरी क्षेत्र में ऑगनवाड़ी स्थापित है उनका भी इस अभियान में सहयोग लिया जाये।
- मेडिकल कॉलेजों, शहरी हैल्थ पोस्ट/डिसपैन्सरी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, होम्योपैथिक यूनानी व आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तथा प्राईवेट नर्सिग होम/क्लीनिक, आदि में भी ओ0आर0एस0 कॉर्नर स्थापित कराये जाये इसमें स्थानीय आई0ए0पी0 एवं आई0एम0ए0 का सहयोग लिया जाये।

10– रिपोर्टिंग :

- अभियान के प्रत्येक चरण की समाप्ति के उपरान्त आशा अपनी रिपोर्ट निर्धारित **संलग्न प्रपत्र–07** पर ए0एन0एम0 को प्रेषित करेगी।
- आशा से प्राप्त रिपोर्ट ए0एन0एम0 संलग्न उपकेन्द्र **प्रपत्र संख्या–09** पर संकलित कर सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 02 दिन के अन्दर जमा करेगी।
- ए0आर0ओ0/बी0सी0पी0एम0 प्राप्त रिपोर्टों को ब्लाक स्तरीय रिर्पोटिगं **प्रपत्र संख्या–10** पर संकलित कर, उसकी रिर्पोट 02 दिन के अन्दर अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी के माध्यम से जिला नोडल अधिकारी को प्रेषित करेंगें।
- जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी ब्लॉकों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा एवं जॉच करते हुये जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा के उपरान्त संकलित **रिपोर्ट प्रपत्र–11** पर महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश को पखवाड़े के उपरान्त 2 दिन के अन्दर भिजवाना सुनिश्चित करेंगें।

नोटः– भारत सरकार से प्राप्त गाइड लाइन एवं टूल किट ई–मेल द्वारा साथ में प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अवलोकन कर उक्त पखवाड़े का माइक्रोप्लान तैयार कर पखवाड़े को सफल बनायें।

11– वित्त पोषण :–

- ओ0आर0एस0 एवं जिंक टैबलेट के क्रय करने हेतु पूर्व में प्रेषित इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/डी0एम0/29/2017–18/658–75, दिनांक 27.04.2017 के माध्यम से ओ0आर0एस0 एवं जिंक की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं तथा दिनांक 24.04.2017 को FMR Code-B.16.2.2.1 पर धनराशि भी समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा चुकी है। (छायाप्रति संलग्न)

- उपरोक्त ओ0आर0एस0 एवं जिंक टेबलेट का उपयोग IDCF पखवाड़े के दौरान करें तथा IDCF कार्यक्रम के अन्तर्गत FMR Code-B.16.2.5 पर अवमुक्त की जा रही धनराशि से ओ0आर0एस0 पैकेट दर अनुबन्ध के आधार पर क्रय किये जाने हेतु क्रय आदेश आपूर्तिकर्ता फर्म को तत्काल निर्गत कर दिये जायें ताकि ओ0आर0एस0 पैकेट की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

- सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (Intensified Diarrhoea Control Fortnight-IDCF) संचालित करने हेतु संलग्न तालिका के अनुसार धनराशि जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है। धनराशि का व्यय दिये गये सम्बन्धित एफ0एम0आर0 कोड में ही अंकित किया जायेगा। धनराशि का उपयोग समय समय पर दिये गये वित्तीय दिशा निर्देशानुसार किया जाये।

- सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े हेतु किराये के वाहन हेतु रू0 2000/– प्रतिदिन प्रति वाहन (जिसमें रू0 1000/– वाहन का किराया एवं रू0 1000/– ईधन हेतु) की दर से 2 वाहन हेतु 10 दिनों के लिये रू0 40000/– की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। सावधानी एवं सतर्कता रखी जाये कि यदि किसी अन्य कार्यक्रम/स्कीम में वाहन की व्यवस्था है तो उक्त का ध्यान रखते हुये वाहन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाये। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न की जाये। अभियान के दौरान वाहन का पूर्ण विवरण अलग से भी रखा जाये।

12– अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) अभियान का अनुश्रवण करने हेतु जनपद के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी एवं क्षेत्रीय उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रति दिन क्षेत्र का भ्रमण करेंगें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अन्य सहयोगी विभागों के अधिकारियों के साथ भ्रमण करेंगें साथ ही जिला कार्यक्रम प्रबन्धक तथा जिला कम्युनिटी कार्यक्रम प्रबन्धक एवं ब्लाक कम्युनिटी कार्यक्रम प्रबन्धक भी अलग–अलग क्षेत्रों में जा कर कार्यक्रम एवं अन्य योजनाओं का पर्यवेक्षण करेंगें तथा अपनी रिपोर्ट प्रतिदिन नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। नोडल अधिकारी प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सुधारात्मक आवश्यक कार्यवाही करेंगें।

मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इस पखवाड़े में विशेष भ्रमण कार्यक्रम बना कर इस पखवाड़े का अनुश्रवण करने का कष्ट करें, तथा अपनी आख्या महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायें तथा प्रति जनपद 01 मण्डलीय संयुक्त निदेशक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर कार्यक्रम सफल संचालन सुनिश्चि करें।

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) कार्यक्रम दिनांक 26 जून से 08 जुलाई 2017 के माध्य मनाये जाने के उपरान्त 1 सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के ई–मेल gmchildhealthnrhm@gmail.com पर साफ्ट एवं स्कैन कॉपी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, प0क0 महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / सी0एच0 / IDCF / 35 / 2017–18 / दिनांक .06.2017

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **अपर मुख्य सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **प्रमुख सचिव,** बाल विकास, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
3. **प्रमुख सचिव**, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
4. **प्रमुख सचिव**, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
5. **सचिव**, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
6. **महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन,** इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
7. **महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य** सेवायें, स्वास्थ्य भवन लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8. **महानिदेशक, परिवार कल्याण**, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
9. **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा**, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
10. **समस्त मण्डलायुक्त**, उत्तर प्रदेश।
11. **निदेशक, आई0सी0डी0एस0**, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
12. **समस्त मण्डलीय, अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
13. **समस्त जिलाधिकारी** / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
14. **संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0**, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
15. **महाप्रबन्धक**, प्रोक्योरमेन्ट / नियमित टीकाकरण / कम्युनिटी प्रोसेस / आई0ई0सी0 / आर0बी0एस0के0, एस0पी0एम0यू0 लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
16. **समस्त, मण्डलीय एवं जनपदीय** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0।
17. **टीम लीडर, टैक्नीकल** टैक्नीकल सपोर्ट यूनिट (TSU-UP) रतन स्क्वायर टावर लखनऊ उ0प्र0।
18. **हेल्थ ऑफीसर, यूनिसेफ** बी–3 / 258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
19. **राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक**, Nutrition International, Save the Children लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

IDCF Plan and district wise financial allotment for year 2017-18

Sl. No.	Name of Districts	No of Blocks	Expected Population 2017	No of ASHAs	No of Under 5 Children (As per GOI 10% of Population)	ASHA Incentive	IEC Budget			Procurment	Vehicle			1 Day Orientation at district & Block	Total funds released to DHS (Rs. In lac)
						B.1.1.3.2.8	B.10.7.4.8			B.16.2.2.6	A.2.6			A.9.5.5.2.e	
						ASHA Incentive	Printing Cost for Toolkit and format	IEC Activity	Total (9+10)=11	Funds for Additional ORS Procurement as per @1.94/Pkt	2 Vehicle per Distt.@ Rs1000 for 10 days	POL @ 1000/day /Vehicle for 10 days	Total (13+14)=15	Rs.150000 per Distt	
Tally Code															
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*
1	Agra	15	4787866	2806	478787	280600	18000	100000	118000	928846	20000	20000	40000	150000	**1517446**
2	Aligarh	12	4015229	2850	401523	285000	18000	100000	118000	778954	20000	20000	40000	150000	**1371954**
3	Allahabad	20	6513589	4371	651359	437100	18000	100000	118000	1263636	20000	20000	40000	150000	**2008736**
4	Ambedkarnagar	9	2621603	2372	262160	237200	18000	100000	118000	508591	20000	20000	40000	150000	**1053791**
5	Amethi	16	2660792	2250	266079	225000	18000	100000	118000	516194	20000	20000	40000	150000	**1049194**
6	Amroha	6	2009629	1419	200963	141900	18000	100000	118000	389868	20000	20000	40000	150000	**839768**
7	Aurayya	7	1499802	1266	149980	126600	18000	100000	118000	290962	20000	20000	40000	150000	**725562**
8	Azamgarh	22	5045482	4220	504548	422000	18000	100000	118000	978824	20000	20000	40000	150000	**1708824**
9	Baghpat	6	1423152	1028	142315	102800	18000	100000	118000	276091	20000	20000	40000	150000	**686891**
10	Bahraich	14	3801462	3191	380146	319100	18000	100000	118000	737484	20000	20000	40000	150000	**1364584**
11	Ballia	17	3523191	2919	352319	291900	18000	100000	118000	683499	20000	20000	40000	150000	**1283399**
12	Balrampur	9	2348761	1979	234876	197900	18000	100000	118000	455660	20000	20000	40000	150000	**961560**
13	Banda	8	1966755	1523	196676	152300	18000	100000	118000	381550	20000	20000	40000	150000	**841850**
14	Barabanki	15	3560717	3258	356072	325800	18000	100000	118000	690779	20000	20000	40000	150000	**1324579**
15	Bareilly	15	4880274	2903	488027	290300	18000	100000	118000	946773	20000	20000	40000	150000	**1545073**
16	Basti	14	2689743	2323	268974	232300	18000	100000	118000	521810	20000	20000	40000	150000	**1062110**
17	Bhadohi	6	1698622	1355	169862	135500	18000	100000	118000	329533	20000	20000	40000	150000	**773033**
18	Bijnour	11	4026212	3070	402621	307000	18000	100000	118000	781085	20000	20000	40000	150000	**1396085**
19	Budaun	15	3489038	2563	348904	256300	18000	100000	118000	676873	20000	20000	40000	150000	**1241173**
20	Bulandshahar	16	3823592	2291	382359	229100	18000	100000	118000	741777	20000	20000	40000	150000	**1278877**
21	Chandauli	9	2134158	1953	213416	195300	18000	100000	118000	414027	20000	20000	40000	150000	**917327**
22	Chitrakoot	5	1082677	852	108268	85200	18000	100000	118000	210039	20000	20000	40000	150000	**603239**
23	Deoria	16	3386565	2930	338657	293000	18000	100000	118000	656994	20000	20000	40000	150000	**1257994**
24	Etah	8	1924650	1492	192465	149200	18000	100000	118000	373382	20000	20000	40000	150000	**830582**
25	Etawah	8	1725895	1372	172590	137200	18000	100000	118000	334824	20000	20000	40000	150000	**780024**

IDCF Plan and district wise financial allotment for year 2017-18

Sl. No.	Name of Districts	No of Blocks	Expected Population 2017	No of ASHAs	No of Under 5 Children (As per GOI 10% of Population)	ASHA Incentive	IEC Budget			Procurment	Vehicle			1 Day Orientation at district & Block	Total funds released to DHS (Rs. In lac)
						B.1.1.3.2.8	B.10.7.4.8			B.16.2.2.6	A.2.6			A.9.5.5.2.e	
						ASHA Incentive	Printing Cost for Toolkit and format	IEC Activity	Total (9+10)=11	Funds for Additional ORS Procurement as per @1.94/Pkt	2 Vehicle per Distt.@ Rs1000 for 10 days	POL @ 1000/day /Vehicle for 10 days	Total (13+14)=15	Rs.150000 per Distt	
Tally Code															
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*
26	Faizabad	11	2697737	2556	269774	255600	18000	100000	118000	523361	20000	20000	40000	150000	**1086961**
27	Farrukhabad	7	2062971	1497	206297	149700	18000	100000	118000	400216	20000	20000	40000	150000	**857916**
28	Fatehpur	13	2877319	2311	287732	231100	18000	100000	118000	558200	20000	20000	40000	150000	**1097300**
29	Firozabad	9	2728761	1664	272876	166400	18000	100000	118000	529380	20000	20000	40000	150000	**1003780**
30	G.B. Nagar	4	1833610	778	183361	77800	18000	100000	118000	355720	20000	20000	40000	150000	**741520**
31	Ghaziabad	4	3692339	688	369234	68800	18000	100000	118000	716314	20000	20000	40000	150000	**1093114**
32	Ghazipur	16	3959357	3623	395936	362300	18000	100000	118000	768115	20000	20000	40000	150000	**1438415**
33	Gonda	16	3750234	3186	375023	318600	18000	100000	118000	727545	20000	20000	40000	150000	**1354145**
34	Gorakhpur	19	4848496	3603	484850	360300	18000	100000	118000	940608	20000	20000	40000	150000	**1608908**
35	Hamirpur	7	1206608	1104	120661	110400	18000	100000	118000	234082	20000	20000	40000	150000	**652482**
36	Hapur	4	1402267	717	140227	71700	18000	100000	118000	272040	20000	20000	40000	150000	**651740**
37	Hardoi	19	4471560	3550	447156	355000	18000	100000	118000	867483	20000	20000	40000	150000	**1530483**
38	Hathras	7	1711161	1232	171116	123200	18000	100000	118000	331965	20000	20000	40000	150000	**763165**
39	Jalaun	9	1825961	1381	182596	138100	18000	100000	118000	354236	20000	20000	40000	150000	**800336**
40	Jaunpur	21	4891993	4145	489199	414500	18000	100000	118000	949047	20000	20000	40000	150000	**1671547**
41	Jhansi	8	2186664	1260	218666	126000	18000	100000	118000	424213	20000	20000	40000	150000	**858213**
42	Kannauj	8	1812070	1492	181207	149200	18000	100000	118000	351542	20000	20000	40000	150000	**808742**
43	Kanpur Dehat	10	1961898	1700	196190	170000	18000	100000	118000	380608	20000	20000	40000	150000	**858608**
44	Kanpur Nagar	10	4997874	1686	499787	168600	18000	100000	118000	969588	20000	20000	40000	150000	**1446188**
45	Kasganj	7	1571792	1150	157179	115000	18000	100000	118000	304928	20000	20000	40000	150000	**727928**
46	Kaushambi	8	1745297	1660	174530	166000	18000	100000	118000	338588	20000	20000	40000	150000	**812588**
47	Kushi Nagar	14	3891708	3392	389171	339200	18000	100000	118000	754991	20000	20000	40000	150000	**1402191**
48	Lakhimpur Khiri	15	4386589	3552	438659	355200	18000	100000	118000	850998	20000	20000	40000	150000	**1514198**
49	Lalitpur	6	1331162	982	133116	98200	18000	100000	118000	258245	20000	20000	40000	150000	**664445**
50	Lucknow	8	5014819	1551	501482	155100	18000	100000	118000	972875	20000	20000	40000	150000	**1435975**

IDCF Plan and district wise financial allotment for year 2017-18

Sl. No.	Name of Districts	No of Blocks	Expected Population 2017	No of ASHAs	No of Under 5 Children (As per GOI 10% of Population)	ASHA Incentive	IEC Budget			Procurment	Vehicle			1 Day Orientation at district & Block	Total funds released to DHS (Rs. In lac)
						B.1.1.3.2.8	B.10.7.4.8			B.16.2.2.6	A.2.6			A.9.5.5.2.e	
						ASHA Incentive	Printing Cost for Toolkit and format	IEC Activity	Total (9+10)=11	Funds for Additional ORS Procurement as per @1.94/Pkt	2 Vehicle per Distt.@ Rs1000 for 10 days	POL @ 1000/day /Vehicle for 10 days	Total (13+14)=15	Rs.150000 per Distt	
	Tally Code														
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*
51	Maharajganj	12	2912954	2666	291295	266600	18000	100000	118000	565113	20000	20000	40000	150000	**1139713**
52	Mahoba	4	957460	697	95746	69700	18000	100000	118000	185747	20000	20000	40000	150000	**563447**
53	Mainpuri	9	2018835	1562	201884	156200	18000	100000	118000	391654	20000	20000	40000	150000	**855854**
54	Mathura	10	2778089	1788	277809	178800	18000	100000	118000	538949	20000	20000	40000	150000	**1025749**
55	Mau	9	2410079	1751	241008	175100	18000	100000	118000	467555	20000	20000	40000	150000	**950655**
56	Meerut	12	3767744	1688	376774	168800	18000	100000	118000	730942	20000	20000	40000	150000	**1207742**
57	Mirzapur	12	2726328	2148	272633	214800	18000	100000	118000	528908	20000	20000	40000	150000	**1051708**
58	Moradabad	8	3429202	2218	342920	221800	18000	100000	118000	665265	20000	20000	40000	150000	**1195065**
59	Muzaffarnagar	9	2929686	2267	292969	226700	18000	100000	118000	568359	20000	20000	40000	150000	**1103059**
60	Pilibhit	7	2226525	1426	222653	142600	18000	100000	118000	431946	20000	20000	40000	150000	**882546**
61	Pratapgarh	17	3468662	3041	346866	304100	18000	100000	118000	672920	20000	20000	40000	150000	**1285020**
62	Raibareilly	18	2809997	2305	281000	230500	18000	100000	118000	545139	20000	20000	40000	150000	**1083639**
63	Rampur	6	2552405	1705	255241	170500	18000	100000	118000	495167	20000	20000	40000	150000	**973667**
64	Saharanpur	11	3786131	2695	378613	269500	18000	100000	118000	734509	20000	20000	40000	150000	**1312009**
65	Sambhal	8	2356148	1776	235615	177600	18000	100000	118000	457093	20000	20000	40000	150000	**942693**
66	Santkabir Nagar	9	1873594	1586	187359	158600	18000	100000	118000	363477	20000	20000	40000	150000	**830077**
67	Shahjahanpur	15	3281364	2597	328136	259700	18000	100000	118000	636585	20000	20000	40000	150000	**1204285**
68	Shamli	5	1593487	982	159349	98200	18000	100000	118000	309136	20000	20000	40000	150000	**715336**
69	Shravasti	5	1218189	1114	121819	111400	18000	100000	118000	236329	20000	20000	40000	150000	**655729**
70	Siddharthnagar	14	2790800	2393	279080	239300	18000	100000	118000	541415	20000	20000	40000	150000	**1088715**
71	Sitapur	19	4890216	3944	489022	394400	18000	100000	118000	948702	20000	20000	40000	150000	**1651102**
72	Sonbhadra	8	2035690	1548	203569	154800	18000	100000	118000	394924	20000	20000	40000	150000	**857724**
73	Sultanpur	13	2392774	2556	239277	255600	18000	100000	118000	464198	20000	20000	40000	150000	**1027798**
74	Unnao	16	3399636	2623	339964	262300	18000	100000	118000	659529	20000	20000	40000	150000	**1229829**
75	Varanasi	8	4024353	2083	402435	208300	18000	100000	118000	780724	20000	20000	40000	150000	**1297024**
	Total	**823**	**218130051**	**160175**	**21813005**	**16017500**	**1350000**	**7500000**	**8850000**	**42317228**	**1500000**	**1500000**	**3000000**	**11250000**	**81434728**
	Rupees in Lacs TOTAL					**160.18**	**13.50**	**75.00**	**88.50**	**423.17**	**15.00**	**15.00**	**30.00**	**112.50**	**814.35**

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/IDCF/35/2017–18/ दिनांक 08/06/2017

विषय–प्रदेश के समस्त जनपदों में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (Intensified Diarrhoea Control Fortnight-IDCF) दिनांक 26 जून से 08 जुलाई 2017 के मध्य मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) का पूर्व की भांति प्रदेश में इस वर्ष **दिनांक 26 जून से 08 जुलाई 2017 के मध्य समस्त जनपदों में मनाया जाना है।** आप अवगत हैं कि विगत वर्ष 2016–17 में आपके सक्रिय सहयोग से उक्त कार्यक्रम को सफलता पूर्वक प्रदेश में आयोजित किया जा चुका है।

शिशु मृत्युदर एवं बाल्यावस्था मृत्युदर में कमी लाना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य है। वर्तमान में प्रदेश की बाल मृत्युदर 51/1000 जीवित जन्म है (एस0आर0एस0–2015) बाल्यावस्था में 05 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 10 प्रतिशत मृत्यु दस्त के कारण होती है, जो कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.2 लाख बच्चों कि दस्त के कारण मृत्यु का कारण बनता है, तथा दस्त रोग मृत्यु के प्रमुख कारणों में दूसरे स्थान पर है। जिसका उपचार ओ0आर0एस0 एवं जिंक की गोली मात्र से किया जा सकता है एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। दस्त रोग विकासशील देशों में अधिक व्यापक रूप से मौजूद है जिसका मुख्य कारण असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता एवं शौंचालय का अभाव तथा समग्र स्वास्थ्य एवं पोषण का निम्न स्तर का होना है।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये आवश्यक है कि कार्यक्रम के उद्देश्यों के विषय में स्पष्ट एवं सकारात्मक दृष्टिकोण बनाया जायें। वर्ष 2017–18 में आयोजित Intensified Diarrhoea Control Fortnight-IDCF का उद्देश्य प्रदेश में "Zero" Childhood Death due to Diarrhoea के स्तर को प्राप्त करना।

इस कार्यक्रम हेतु निम्नलिखित रणनीति एवं उद्देश्य है :–

1. बाल्यावस्था में दस्त के दौरान ओ0आर0एस0 एवं जिंक के उपयोग के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना।
2. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मध्य दस्त के प्रबन्धन एवं उपचार हेतु गतिविधियों को बढ़ावा देना। साथ ही उच्च प्राथमिकता व अतिसंवेदनशील समुदायों में जागरूकता प्रदान करना है।
3. समुदाय स्तर तक ओ0आर0एस0 एवं जिंक की उपलब्धता तथा इसके उपयोग को बढ़ावा देना।
4. स्वच्छता एवं हाथों को साफ रखने से विभिन्न रोगों से परिवार को सुरक्षित रखना।

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) की सम्पूर्ण गतिविधियां 26 जून से 08 जुलाई, 2017 के मध्य संचालित की जायेंगी। इस निमित्त पखवाड़े के सफल आयोजन हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार पखवाड़े से पूर्व एवं पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित गतिविधियॉ निम्नानुसार आयोजित की जानी हैं।

लक्षित लाभार्थीः–

1. समस्त ऐसे परिवार जिनमें 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हों
2. 05 वर्ष की उम्र तक के समस्त बच्चे जो पखवाड़े के दौरान दस्तरोग ग्रासित हों।
3. उच्च प्राथमिकता वाले बच्चे –
   - ❖ सब सेन्टर जहां पर ए0एन0एम0 न हो/लम्बी छुट्टी पर हो।
   - ❖ सफाई की कमी वाली जगहों पर निवास करने वाली जनसंख्या।
   - ❖ अति सम्वेदनशील क्षेत्र–अरबन स्लम, हार्ड टू रीच एरिया, खानाबदोस निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवार, ईट भट्टे इत्यादि।
   - ❖ ऐसी जगह जहां डायरिया आउटब्रेक हुआ हो।
   - ❖ छोटे गांव या छोटे कस्बे जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो।

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े (IDCF) को आयोजित करने हेतु पूर्व/प्रारम्भिक गतिविधियां

क्र0सं0	गतिविधियां	प्रस्तावित कार्ययोजना	जिम्मेदार व्यक्ति	समय अवधि
1	जनपदीय टास्क फोर्स/जिला स्वास्थ्य समिति/ स्टेयरिंग कमेटी का गठन एवं बैठक का संचालन	• पखवाड़े के पूर्व जिला एवं ब्लाक स्तर पर कार्ययोजना नीति तैयार करना (भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर कार्ययोजना गठन हेतु **संलग्नक–4** जनपद स्तर **संलग्नक–5** ब्लाक स्तर एवं **संलग्नक–6** ए0एन0एम0 द्वारा बनाया जाए)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	05 से 18 जून 2017
		• पखवाड़े के पूर्व एवं मध्य व नियमित बैठक आयोजित कर भौतिक प्रगति, आपसी सहयोग एवं प्रगति पर समीक्षा कर निर्णायक कदम उठाना।	जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी	पखवाड़े के मध्य साप्तहिक
2	सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े के लिये नोडल अधिकारी का चयन किया जाना	• पखवाड़े से पूर्व स्टेयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित कराना। • कार्यक्रम हेतु माइक्रोप्लान बनवाना, सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, ब्लॉक स्तरीय ऑरियेन्टेशन बैठक आयोजित कराना। • कार्यक्रम से पूर्व पर्यवेक्षण का प्लान तैयार कराना। • आई0ई0सी0 गतिविधियों को सुनिश्चित कराना। • भौतिक प्रगति रिपोर्ट को संकलित करना तथा राज्य मुख्यालय पर निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	05 जून से 10 जून 2017
3	कार्यक्रम हेतु आवश्यक सामग्री की व्यवस्था **(अ)** ओ0आर0एस0 एंव जिंक की आपूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित कराना। **(ब)** आवश्यक समाग्री की व्यवस्था करना	• नोडल अधिकारी द्वारा ओ0आर0एस0 एंव जिंक की आपूर्ति का आंकलन कर पखवाड़े से पूर्व स्वास्थ्य इकाईयों एवं आशा/ए0एन0एम0 तक उपलब्धता सुनिश्चित कराना। • विगत माह/वर्षो में दस्त रोगों की स्थित समीक्षा करते हुये ऐसे सुदूर क्षेत्रों की आशाओं एवं ए0एन0एम0 एवं मोबाइल टीमों को आवश्यक ओ.आर.एस. एंव जिंक उपलब्ध करा कर आशा को डिपो के रूप में चिन्हित करना एवं ओ0आर0एस0 कार्नर हेतु दिशानिर्देश देना। **(भारत सरकार के गाइडलाईन का संदर्भ ग्रहण करें पेज न0–49)**	नोडल अधिकारी एवं फार्मासिस्ट ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	21 जून 2017 तक
4	तकनीकी उन्मुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन	• जिला एवं ब्लाक स्तर पर चिकित्साधिकारी, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक, सी0डी0पी0ओ0, बी0सी0पी0एम0 आयुष चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ, ए0एन0एम0 एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मुख्य सेविका एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों को आई0डी0सी0एफ0 कार्यक्रम के तकनीकी विषय, गतिविधियां तथा उनकी भूमिका के सम्बंध में राज्य से प्रेषित प्रस्तुतिकरण एवं भारत सरकार द्वारा प्रेषित टूलकिट के माध्यम से उन्मुखीकरण कर प्रशिक्षित किया जाएगा। **(इस हेतु आशायें अपने मॉड्यूल 6–7 का उपयोग करें)**	नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्लाक पर प्रभारी चिकित्साधिकारी	अभियान से पूर्व 19 जून से 24 जून 2017 के मध्य

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े (IDCF) को आयोजित करने हेतु पूर्व/प्रारम्भिक गतिविधियां

क्र0सं0	गतिविधियां	प्रस्तावित कार्ययोजना	जिम्मेदार व्यक्ति	समय अवधि
5	आई0ई0सी0 सामाग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना	• भारत सरकार की वैब साइट **www.nhm. gov.in** अथवा उत्तर प्रदेश की वैब साइट www.upnrhm. gov.in पर पोस्टर, पैमपेल्ट, टी.वी. एवं रेडियो स्पॉट उपलब्ध हैं IEC सामाग्री को डाउन लोड कर जनपद की आवश्यकता अनुसार प्रपत्रों के साथ ही मुद्रित कराया जाए।	नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी	12 जून से 24 जून 2017 तक
6	माइक्रोप्लानिंग/ कार्ययोजना (अ) जनपद स्तरीय कार्य योजना	• जनपद स्तर पर कार्यक्रम की रूप–रेखा **संलग्नक–4** में लगे प्रारूप के अनुसार पखवाड़े की पूर्व तैयार करायी जाए तथा प्रतिलिपि राज्य स्तर को प्रेषित की जाये।	नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी	17 जून 2017 तक
	(ब) ब्लाक स्तर कार्य योजना	• ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम की रूप–रेखा **संलग्नक–5** में लगे प्रपत्र के अनुसार (मोबाइल टीमों का गठन कर जिंक ओ0आर0एस0 कार्नरों एवं सहयोगी अनुश्रवण हेतु अधिकारीयों को नामित कर तैयार कर जनपद को उपलब्ध करायी जाए।	प्रभारी चिकित्साधिकारी एव बी0सी0पी0एम0/ बी0पी0एम0	12 जून 2017 तक
	ग्राम स्तरीय कार्य योजना	• ग्राम स्तर पर कार्यक्रम की रूप–रेखा **संलग्नक–6** ए0एन0एम0 द्वारा एवं आशा द्वारा **संलग्नक–7** पर नियोजन व रिर्पोटिगं हेतु आशा द्वारा तैयार करायी जाए।	ए0एन0एम0 एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी/ बी0पी0एम0	09 जून 2017 तक
7	उदघाटन एवं कार्यक्रम का शुभारम्भ	• कार्यक्रम का शुभारम्भ स्थानीय मंत्री/ विधायक या अन्य किसी विशिष्ठ गणमान्य से कराया जाये।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी	26 जून 2017
8	आई0डी0सी0एफ0 का अनुश्रवण	• जनपद स्तर पर **संलग्नक–13** एवं ब्लाक स्तर पर **संलग्नक–14** पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सम्पूर्ण पखवाडे की अवधि में अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है।	समस्त जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारी	26 जून से 08 जुलाई, 2017

1– आशा द्वारा अपने गांव में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाले समस्त घरों का गृह भ्रमण।

- पखवाड़े से पूर्व आशा ग्राम स्तरीय प्लानिंग एवं क्रियान्वयन रिर्पोटिगं **संलग्नक–7** पर अपने गाँव के समस्त 5 वर्ष तक के बच्चो की सूची तैयार करेगी और चिंन्हित बच्चो के घरों में भ्रमण करेगी और पखवाड़े के दौरान प्रत्येक पात्र परिवार को जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा हो उस घर में **ओ0आर0एस0 का एक पैकेट का वितरण किया जाना है।** इसकी सूचना **संलग्नक–7** में दी जानी है।
- **ओ0आर0एस0 एवं जिंक टैबलेट के क्रय करने हेतु पूर्व में प्रेषित इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/डी0एम0/29/2017–18/658–75, दिनांक 27.04.2017 के माध्यम से ओ0आर0एस0 एवं जिंक की नियमित उपलब्ता सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं तथा दिनांक 24.04.2017 को FMR Code-B.16.2.2.1 पर धनराशि भी समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा चुकी है।**
- **उपरोक्त ओ0आर0एस0 एवं जिंक टेबलेट का उपयोग IDCF पखवाड़े के दौरान करें तथा IDCF क्रार्यक्रम के अन्तर्गत FMR Code-B.16.2.5 पर अवमुक्त की जा रही धनराशि से ओ0आर0एस0 पैकेट दर अनुबन्ध के आधार पर क्रय किये जाने हेतु क्रय आदेश आपूर्तिकर्ता फर्म को तत्काल निर्गत कर दिये जायें ताकि ओ0आर0एस0 पैकेट की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।**
- अतः पखवाड़े से पूर्व पर्याप्त मात्रा में ओ0आर0एस0 एवं जिंक की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये एवं जिंक ओ0आर0एस0 कार्नर एवं मोबाइल टीमों हेतु योजना बना ली जाये।

- आशा द्वारा अपने क्षेत्र के 5 वर्ष उम्र तक के बच्चों वाले सभी घरों में ओ0आर0एस0 पैकेट वितरण करेगी जिसके लिये आशा को रू0 01 प्रति ओ0आर0एस0 पैकेट के अनुसार प्रोत्साहन राशि (इन्सैन्टिव) के रूप में भुगतान किया जायेगा। जिसे आशा के खाते में स्थानान्तरित किया जायेगा।
- **गृह भ्रमण के दौरान आशा द्वारा ओ0आर0एस0 का घोल बनाने की विधि का प्रदर्शन किया जायेगा ताकि देखभालकर्ता को ओ0आर0एस0 घोल बनाने की सही तरीके की जानकारी सम्भव हो सके एवं स्वच्छता सम्बन्धी जानकारी भी दी जायेगी। इसके साथ ही परिवार को निम्न बिन्दुओं पर परामर्श देगी–**

1. दस्त के दौरान बच्चों को ओ0आर0एस0 एवं तरल पदार्थ दिया जाये।
2. जिंक का भी उपयोग दस्त होने के दौरान बच्चों को अवश्य किया जाये। दस्त बन्द हो जाने के उपरान्त भी जिंक की खुराक 02 माह से 05 वर्ष तक के बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कुल 14 दिनों तक जारी रखा जाए। (**02 से 06 माह तक आधी गोली एवं 07 माह से 05 वर्ष तक एक गोली**) जिंक का प्रयोग करने से अगले 02 या 03 महीने तक डायरिया होने की सम्भावना कम हो जाती है।
3. जिंक और ओ0आर0एस0 के उपयोग के उपरान्त भी डायरिया ठीक न होने पर बच्चे को नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जायें।
4. बीमारी के दौरान और बीमारी के बाद भी आयु के अनुसार स्तनपान, ऊपरी आहार तथा भोजन जारी रखा जाये।
5. उम्र के अनुसार शिशु बाल पोषण सम्बन्धी परामर्श दिया जाये।
6. पीने हेतु स्वच्छ पेयजल का उपयोग किया जाये।
7. खाना बनाने से पूर्व एवं बच्चे का मल साफ करने के उपरान्त साबुन से हाथ धो लेना चाहिये।
8. डायरिया होने पर ओ0आर0एस0 और जिंक का उपयोग करने से बच्चों में तीव्र सुधार होता है।
9. बच्चे के मल का निस्तारण सुरक्षित स्थान पर जल्द से जल्द कर दिया जाये।
10. डायरिया को फैलने से रोकने के लिये शौचालय का उपयोग करना चाहिये।

बच्चे में निम्नलिखित कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जायें।

- पानी जैसा लगातार मल का होना।
- बार–बार उल्टी होना।
- अत्यधिक प्यास लगना।
- पानी न पी पाना।
- बुखार हो।
- मल में खून आ रहा हो।

- जिन घरों में 02 वर्ष तक के बच्चें हैं उनकी मांताओं को स्तनपान एवं उम्र के अनुसार पूरक पोषाहार की भी जानकारी दें एवं हाथों की सफाई के महत्व के विषय में परामर्श दिया जाये।

नोटः– पखवाड़े के मध्य दस्त रोग से यदि किसी बच्चे की मृत्यु होती है तो ऐसे केसों की जानकारी आशा अपने सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अवश्य देगी। प्रभारी अधिकारी सभी केसों की सूचना संकलित कर जनपदीय नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें।

2– जिंक एवं ओ0आर0एस0 कार्नर स्थापित करना

अ– ओ0आर0एस0 एवं जिंक कार्नर मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, ब्लाक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी स्वास्थ्य इकाई, होम्योपैथिक यूनानी व आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आगनंवाड़ी केन्द्रों और चिन्हित चिकित्सा इकाई/निजी चिकित्सालय/प्राईवेट प्रैक्टीशनर के यहां स्थापित किये जायें। इस कार्य हेतु जनपद स्तर पर आई0ए0पी0 एवं आई0एम0ए0 का भी सहयोग लिया जाये।

ब– ओ0आर0एस0 जिंक कार्नर को स्थापित करने के विषय में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के **संलग्न–15** में पूर्ण जानकारी दी गयी है अपने स्तर से इसकी प्रति समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को ओ0आर0एस0 एवं जिंक कार्नर स्थापित करने के लिये उपलब्ध करा दें।

3– ओ0आर0एस0 एवं जिंक हेतु आशाओं को डिपो के रूप में स्थापित करना।

यह सुनिश्चित किया जाये कि आशा के पास अतिरिक्त ओ0आर0एस0 के पैकेट की उपलब्धता हर समय रहे। आशा द्वारा यदि उनका उपयोग कर लिया जाये तो सम्बन्धित ए0एन0एम0/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अपने स्टोर से इसकी आपूर्ति करते रहें।

4– शहरी क्षेत्रों में मोबाइल टीमों का गठन कराना।

यह सुनिश्चित किया जाये कि जिन शहरों में घुमन्तु परिवार, खानाबदोस, अन्य असेवित समाज के बच्चों हेतु ओ0आर0एस0 के उपयोग के प्रति बढावा देने हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रचार प्रसार किया जाय एवं जिकं ओ0आर0एस0 कार्नर की स्थापना सुनिश्चित की जाय। दस्त से ग्रसित बच्चो को आवश्यकता अनुसार जिंक और ओ0आर0एस0 प्रदान कर आवश्यक परामर्श प्रदान किया जाय।

5– स्कूलों में हाथ धोने का प्रदर्शन

प्रयास रहे कि सभी स्कूल इस गतिविधि से आच्छादित हो जायें। आर0बी0एस0के0 टीमें भी अपने नियमित भ्रमण के दौरान इस पखवाड़े के मध्य अपनी देख रेख में इस गतिविधि को आयोजित करें तथा क्षेत्र के अन्य छूटे हुये स्कूलों में भ्रमण के समय भी इसको आयोजित कराते रहें।

अ– प्रत्येक प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में इससे संबंधित गतिविधि करायी जाये। साथ ही प्रभात फेरी एवं रैली का आयोजन भी किया जाये।

ब– हाथ धोने के सही तरीके के विभिन्न चरणों को प्रदर्शित करने वाला पोस्टर हाथ धोने के स्थान पर लगा हो।

स– प्रति दिन प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को हाथ धोने के महत्व के विषय में बताया जाये।

द– प्रति दिन मिड डे मिल के समय सभी बच्चों को पोस्टर में दिये गये चरणों के अनुसार साबुन–पानी से हाथ धोना सिखाया जाये।

6– पखवाड़ा मनाये जाने हेतु सामान्य गतिविधियां:–

1. **जनपद स्तर पर पखवाड़े का विधिवत शुभारम्भ किया जाये। कार्यक्रम का शुभारम्भ स्थानीय मंत्री/विधायक या अन्य किसी विशिष्ठ गणमान्य व्यक्ति से इसका शुभारम्भ कराया जाये इसमें स्थानीय आई0ए0पी0/आई0एम0ए0/पी0आर0आई0/आई0सी0डी0एस0 व अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाये।**
2. ए0एन0एम0 अपने पूर्व निर्धारित वी0एच0एन0डी0 अनुसार संलग्नक–06 पर योजना बनाकर पखवाड़े के दौरान भ्रमण करेगी।
3. प्रतिरक्षण कार्य के अतिरिक्त इस पखवाड़े की जानकारी समुदाय में देगी। गंभीर दस्त रोग के हानिकारक प्रभाव, दस्त रोग की रोकथाम, स्वच्छ पेयजल, साफ–सफाई, स्तनपान आदि विषयों पर चार्ट, पोस्टर जैसे मुद्रित सामाग्री एवं अपने फ्लिपबुक के माध्यम से प्रचार प्रसार करेगी। ओ0आर0एस0 घोल बनाने की विधि का प्रदर्शन करेगी। वी0एच0एन0डी0/आर0आई0 में आने वाली माताओं को ओ0आर0एस0 के पैकेट की उपलब्धता के बारे में जानकारी करेगी तथा आवश्यकता के अनुसार पैकेट वितरण करेगी।
4. ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों को इस पखवाड़े की जानकारी देकर ग्राम में स्वच्छता का प्रचार प्रसार, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, घरेलू शौचालय के लाभ एवं निर्माण में सहयोग करने वाली संस्थाओं से निर्माण में सहयोग हेतु अनुरोध किया जाये।
5. **विभिन्न स्तरीय कार्यकर्ताओं का अभिमुखीकरण**– दस्त प्रबंधन गतिविधियों के विषय में समस्त कार्यकर्ताओं का विशेष बैठकों के माध्यम से जानकारी दी जाए तथा सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े में आयोजित होने वाली गतिविधियों के बारे में तथा उसमें प्रयोग होने वाले रिपोर्टिंग प्रपत्र की जानकारी दी जाए तथा प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जाएं।
6. **अन्य विभागों से समन्वय**–जनसमुदाय को जागरूक करने के लिए तथा अन्य विभागों से समन्वय कर रेडियो एवं न्यूज़ पेपर आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाए तथा अन्य विभाग जैसे शिक्षा विभाग, आई0सी0डी0एस0, पंचायती राज विभाग, इंडियन एकैडमी आफ पीडियाट्रिक्स, आई0एम0ए0 से समन्वय स्थापित किया जाए इसके अतिरिक्त दस्त प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहीं स्वैच्छिक सहयोगी संस्थायें (UNICEF, UP-TSU, Nutrition International, Save the Children) तथा जनपद में कार्य कर रही अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर उक्त पखवाड़े का आयोजन किया जाये।

7– आई0ई0सी0 एवं प्रचार प्रसार

उपर्युक्त के दृष्टिगत निम्नलिखित संचार माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग किया जायः–

- स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रचार–प्रसार।
- आकाशवाणी।
- दूरदर्शन।
- प्रेस कॉन्फ्रैन्स।
- अन्तर्वैयक्तिक संचार (Inter-Personal Communication).
- गोष्ठी, महिला/बालिकाओं के विद्यालयों में वाद–विवाद प्रतियोगिता, आदि।
- बैनर, पोस्टर, एवं हैण्डबिल, दीवाल लेखन।
- एक दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन।

नोट– इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा आई0ई0सी0 मेटीरियल,पोस्टर का प्रोटोटाइप भारत सरकार की वैब साईट www.nrhm.gov.in. एवं उत्तर प्रदेश की वैब साइट www.upnrhm.gov.in पर पोस्टर, पैमपेल्ट, टी0वी0 एवं रेडियो स्पॉट उपलब्ध है, उक्त आई0ई0सी0 सामग्री को डाउनलोड कर जनपद की आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाया जाये।

8– आशा के लिए प्रतिपूर्ति धनराशि–

आशाओं द्वारा गृह भ्रमण के दौरान 5 वर्ष तक के बच्चों को ओ0आर0एस0 पैकेट का वितरण करने हेतु रू0 01 प्रति पैकेट की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा, इस पखवाडा हेतु प्रति आशा को प्रोत्साहन **राशि रू0 100/–** खाते में स्थान्तरित की जायेगी।

9– शहरी क्षेत्र हेतु रणनीतिः–

- मोबाइल टीमों द्वारा पखवाड़े हेतु संलग्नक–08 पर योजन बनाकर सफल संचालन करना।
- जिला चिकित्सालय, पुरुष एवं महिला में इस पखवाड़े के बैनर पोस्टर लगाये जायें।
- स्थानीय रेडियो, एफ0एम0 रेडियो पर इसका प्रचार–प्रसार कराया जाये।
- शहरी क्षेत्रों में म्युन्स्पिल वार्ड के कर्मचारियों आदि द्वारा मलिन बस्ती में घर–घर जा कर ओ0आर0एस0 पैकट वितरण कराया जाये। जनपदों में शहरी क्षेत्र में ऑगनवाड़ी स्थापित है उनका भी इस अभियान में सहयोग लिया जाये।
- मेडिकल कॉलेजों, शहरी हैल्थ पोस्ट/डिसपैन्सरी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, होम्योपैथिक यूनानी व आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तथा प्राईवेट नर्सिग होम/क्लीनिक, आदि में भी ओ0आर0एस0 कॉर्नर स्थापित कराये जाये इसमें स्थानीय आई0ए0पी0 एवं आई0एम0ए0 का सहयोग लिया जाये।

10– रिपोर्टिंग :

- अभियान के प्रत्येक चरण की समाप्ति के उपरान्त आशा अपनी रिपोर्ट निर्धारित **संलग्न प्रपत्र–07** पर ए0एन0एम0 को प्रेषित करेगी।
- आशा से प्राप्त रिपोर्ट ए0एन0एम0 संलग्न उपकेन्द्र **प्रपत्र संख्या–09** पर संकलित कर सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 02 दिन के अन्दर जमा करेगी।
- ए0आर0ओ0/बी0सी0पी0एम0 प्राप्त रिपोर्टों को ब्लाक स्तरीय रिर्पोटिगं **प्रपत्र संख्या–10** पर संकलित कर, उसकी रिर्पोट 02 दिन के अन्दर अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी के माध्यम से जिला नोडल अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
- जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी ब्लॉकों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा एवं जॉच करते हुये जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा के उपरान्त संकलित **रिपोर्ट प्रपत्र–11** पर महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश को पखवाड़े के उपरान्त 2 दिन के अन्दर भिजवाना सुनिश्चित करेगे।

नोटः– भारत सरकार से प्राप्त गाइड लाइन एवं टूल किट ई–मेल द्वारा साथ में प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अवलोकन कर उक्त पखवाड़े का माइक्रोप्लान तैयार कर पखवाड़े का सफल बनायें।

11– वित्त पोषण :–

- ओ0आर0एस0 एवं जिंक टैबलेट के क्रय करने हेतु पूर्व में प्रेषित इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/डी0एम0/29/2017–18/658–75, दिनांक 27.04.2017 के माध्यम से ओ0आर0एस0 एवं जिंक की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं तथा दिनांक 24.04.2017 को FMR Code-B.16.2.2.1 पर धनराशि भी समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा चुकी है। (छायाप्रति संलग्न)

- उपरोक्त ओ0आर0एस0 एवं जिंक टेबलेट का उपयोग IDCF पखवाड़े के दौरान करें तथा IDCF क्रार्यक्रम के अन्तर्गत FMR Code-B.16.2.5 पर अवमुक्त की जा रही धनराशि से ओ0आर0एस0 पैकेट दर अनुबन्ध के आधार पर क्रय किये जाने हेतु क्रय आदेश आपूर्तिकर्ता फर्म को तत्काल निर्गत कर दिये जायें ताकि ओ0आर0एस0 पैकेट की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

- सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (Intensified Diarrhoea Control Fortnight-IDCF) संचालित करने हेतु संलग्न तालिका के अनुसार धनराशि जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है। धनराशि का व्यय दिये गये सम्बन्धित एफ0एम0आर0 कोड में ही अंकित किया जायेगा। धनराशि का उपयोग समय समय पर दिये गये वित्तीय दिशा निर्देशानुसार किया जाये।

- सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े हेतु किराये के वाहन हेतु रू0 2000/– प्रतिदिन प्रति वाहन (जिसमें रू0 1000/– वाहन का किराया एवं रू0 1000/– ईधन हेतु) की दर से 2 वाहन हेतु 10 दिनों के लिये रू0 40000/– की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। सावधानी एवं सतर्कता रखी जाये कि यदि किसी अन्य कार्यक्रम/स्कीम में वाहन की व्यवस्था है तो उक्त का ध्यान रखते हुये वाहन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाये। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न की जाये। अभियान के दौरान वाहन का पूर्ण विवरण अलग से भी रखा जाये।

12– अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) अभियान का अनुश्रवण करने हेतु जनपद के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी एवं क्षेत्रीय उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रति दिन क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अन्य सहयोगी विभागों के अधिकारियों के साथ भ्रमण करेगें साथ ही जिला कार्यक्रम प्रबन्धक तथा जिला कम्युनिटी कार्यक्रम प्रबन्धक एवं ब्लाक कम्युनिटी कार्यक्रम प्रबन्धक भी अलग–अलग क्षेत्रों में जा कर कार्यक्रम एवं अन्य योजनाओं का पर्यवेक्षण करेंगे तथा अपनी रिपोर्ट प्रतिदिन नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेगे। नोडल अधिकारी प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सुधारात्मक आवश्यक कार्यवाही करेगे।

मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इस पखवाड़े में विशेष भ्रमण कार्यक्रम बना कर इस पखवाड़े का अनुश्रवण करने का कष्ट करें, तथा अपनी आख्या महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायें तथा प्रति जनपद 01 मण्डलीय संयुक्त निदेशक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर कार्यक्रम सफल संचालन सुनिश्चि करें।

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) कार्यक्रम दिनांक 26 जून से 08 जुलाई 2017 के मनाये जाने के उपरान्त 1 सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के ई–मेल gmchildhealthnrhm@gmail.com पर साफ्ट एवं स्कैन कॉपी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, प0क0 महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / सी0एच0 / IDCF / 35 / 2016–17 / 2012-75-19 दिनांक .06.2017

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **अपर मुख्य सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **प्रमुख सचिव,** बाल विकास, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
3. **प्रमुख सचिव**, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
4. **प्रमुख सचिव**, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
5. **सचिव**, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
6. **महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन,** इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
7. **महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य** सेवायें, स्वास्थ्य भवन लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8. **महानिदेशक, परिवार कल्याण**, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
9. **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा**, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
10. **समस्त मण्डलायुक्त**, उत्तर प्रदेश।
11. **निदेशक, आई0सी0डी0एस0**, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
12. **समस्त मण्डलीय, अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
13. **समस्त जिलाधिकारी** / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
14. **संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0**, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
15. **महाप्रबन्धक**, प्रोक्योरमेन्ट / नियमित टीकाकरण / कम्युनिटी प्रोसेस / आई0ई0सी0 / आर0बी0एस0के0, एस0पी0एम0यू0 लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
16. **समस्त, मण्डलीय एवं जनपदीय** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0।
17. **टीम लीडर, टैक्नीकल** टैक्नीकल सपोर्ट यूनिट (TSU-UP) रतन स्क्वायर टावर लखनऊ उ0प्र0।
18. **हेल्थ ऑफीसर, यूनिसेफ** बी–3 / 258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
19. **राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक**, Nutrition International, Save the Children लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

8/6

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक